## न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 38/22

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1 रामकिशोर वैष्णव पुत्र भंवरलाल जाति वैष्णव निवासी – केसरिया कॉलोनी, डेगाना जंक्शन तहसील डेगाना जिला नागौर। फर्म – मैसर्स प्रगति एजेंसी, दुकान नं. ए–13 मारूतिनंदन मार्केट, डेगाना जंक्शन तहसील डेगाना जिला नागौर।<br>2 श्रीमती मोनिका सब्हेनय पत्नी शिव सब्हेनय निवासी – 242/32 पाल बिचला अजमेर। फर्म– मैसर्स समृद्वि ट्रेडिंग कम्पनी 795/34 पाल बिचला अजमेर।<br>3 फर्म– मैसर्स समृद्वि ट्रेडिंग कम्पनी 795/34 पाल बिचला अजमेर। |

### आदेश

दिनांक :13.08.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02-10-2020 को मैसर्स प्रगति एजेंसी, दुकान नं. ए–13 मारूतिनंदन मार्केट, डेगाना जंक्शन तहसील डेगाना जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ नमकीन (आनंद) Rich 'N' Tasty में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1351 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/300/एक्ट/2020/125 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ नमकीन (आनंद) Rich 'N' Tasty मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामकिशोर वैष्णव पुत्र भंवरलाल जाति वैष्णव निवासी केसरिया कॉलोनी, डेगाना ज़ंक्शन तहसील डेगाना जिला नागौर, मोनिका सब्हेनय पत्नी शिव सब्हेनय निवासी– 242/32 पाल बिचला अजमेर तथा मैसर्स समृद्वि ट्रेडिंग कम्पनी 742/34 पाल बिचला अजमेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-06-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 नें दिनांक 14.05.2022 को जवाब पेश कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया की अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दूकान से नमकीन का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं यह नमकीन मैसर्स समृद्वि ट्रैडिंग कम्पनी अजमेर से खरीदकर लाता हूं। भविष्य में खाद्य पदार्थ खरीदते व बेचते समय गुणवता का ध्यान रखूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/300/एक्ट/2020/125 दिनांक 16.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन (आनंद) Rich 'N' Tasty का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रामकिशोर वैष्णव पुत्र भंवरलाल जाति वैष्णव निवासी केसरिया कॉलोनी, डेगाना जंक्शन तहसील डेगाना जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 मोनिका सब्हेनय पत्नी शिव सब्हेनय निवासी– 242/32 पाल बिचला अजमेर तथा अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स समृद्वि ट्रेडिंग कम्पनी 742/34 पाल बिचला अजमेर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये कुल रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)